



प्रारूप-ड
(नियम 7 (2) देखिये)
अनुशांसा

प्रति,

प्रबं कु 02625 0311/000178 अ 62

दिनांक 11/03/2025

श्री शिवेन्द्र दुबे
ग्राम- तिवरैया पटवारी हल्का नंबर-18
तहसील-रायपुर थाना.....
जिला -रायपुर

D.F.O.
RAIPUR

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

-000-

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 21.02.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 25.02.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05.03.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सातत्यपन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :- हॉस्पिटल निर्माण में आवागमन हेतु कुल 07 वृक्ष (कहुआ, करंज, शिशु) अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि निजी भूमि खसरा नंबर 1713 रकबा 0.0929 हैं। ग्राम-तिवरैया, रा0नि0म0-15, प0ह0न0-18 तहसील रायपुर स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति (1) कहुआ 3 नग (2) करंज 2 नग (3) शिशु 2 नग कुल 07 नग है जो काटे जाने पर राहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (कं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन वन उपज नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
वन विभाग, रायपुर
(ह.व.)

जिला (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

- 1/ कलेक्टर जिला रायपुर
- 2/ वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3/ तहसीलदार, तहसील रायपुर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
वन विभाग, रायपुर
(ह.व.)
जिला (छ0ग0)